रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

सं० 345] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 1996/आश्विन 25, 1918
No. 345] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 1996/ASVINA 25, 1918

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1996

सा. का. नि. 482 (अ.):—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

यत: मुझे भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है,

अत: अब मैं, संविधान के अनुछेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं :—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूं,

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी, और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा,

(ii) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात्

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निदेश करने से है,

अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है,

अनुच्छेद 163 और 164,

अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बंटवारे से है,

अनुच्छेद 167,

अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने से है,

अनुच्छेद 174 का खण्ड (1),

अनुच्छेद 175, 176 और 177,

अनुच्छेद 179 का खण्ड (ग) और उसका प्रथम परन्तुक,

अनुच्छेद 181,

अनुच्छेद 183 का खण्ड (ग) और उसका परन्तुक,

अनुच्छेद 185, 188, 189, 193, 194 और 196 से 198 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं),

अनुच्छेद 199 के खण्ड (3) और (4),

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं),

अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक, और

अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है,

(iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायेगा, और उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मण्डल या उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ क्रमश: राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा,

संविधान में उक्त राज्य के विधान मण्डल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों वह उन अधिनियमों और विधियों को भी समाविष्ट करता है जो इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं और संयुक्त प्रान्त सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का यू. पी. अधिनियम सं. 1) और सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू है ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानों यह उक्त राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर, 1996

शंकर दयाल शर्मा

राष्ट्रपति

[फा. सं. V/11013/7/96-सी.एस.आर.]

के. पद्मनाभय्या, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1996

G.S.R. 482 (E).— The following Proclamation by the President is published for general information :—

Whereas, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, have received a report from the Governor of the State of Uttar Pradesh and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution") :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I —

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State ;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State ;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State ;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India ;

articles 163 and 164 ;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State ;

article 167 ;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) of article 174 ;

articles 175, 176 and 177 ;

clause (c) of article 179 and the first proviso to that article ;

article 181 ;

clause (c) of article 183 and the proviso thereto ;

articles 185,188, 189, 193, 194 and 196 to 198 (both inclusive) ;

clauses (3) and (4) of article 199 ;

articles 208 to 211 (both inclusive) ;

the proviso to clause (1), and the proviso to clause (3), of article 213 ; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State ;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a

reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State, or the Houses thereof, shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the reference in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to the Parliament or the Houses thereof respectively :

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State ;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the said State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the United Provinces General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the said State.

New Delhi, dated, the 17th October, 1996

SHANKER DAYAL SHARMA
PRESIDENT

[F. No. V/11013/7/96-CSR]

K. PADMANABHAIAH, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1996

सा. का. नि. 483(अ.):—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज दिनांक 17 अक्तूबर, 1996 के दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए, मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर, 1996

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति

[फा. सं. V/11013/7/96-सी.एस.आर.]

के. पद्मनाभय्या, गृह सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1996

G.S.R. 483(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 17th day of October, 1996 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Uttar Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi, dated the 17th October, 1996

SHANKER DAYAL SHARMA
PRESIDENT

[F.No. V/11013/7/96-CSR]

K. PADMANABHAIAH, Home Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996